राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

16352-77

क्रमांकः एफ 1(1) (1)आ.प्र.एवं सआ/सामान्य/2009/ दिनांकः– 13.11.09

अधिसूचना

जिला कलक्टर प्रतापगढ़ से प्राप्त गिरदावरी रिपोर्ट सम्वत 2066 के आधार पर राजस्थान एफैक्टेड ऐरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,एवं सूखा प्रबन्धन संहिता के अध्याय–4 के अन्तर्गत बिन्दु 1 मे निर्धारित मानदण्डों के मध्य नजर राजस्थान सरकार एतद्द्वारा राज्य के जिला प्रतापगढ़ के आगे अंकित संख्या के ग्रामों को, जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित है, अभावग्रस्त घोषित करती है एव निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 15 जुलाई, 2010 तक लागू रहेंगे :–

क्र0सं0	नाम जिला	अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की संख्या
1	प्रतापगढ़	631

राज्यपाल की आज्ञा से,

13/11/09

(तन्मय कुमार)
शासन सचिव